



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 276]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 31 2013/माघ 11, 1934

No. 276]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 31, 2013/MAGHA 11, 1934

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जनवरी, 2013

का.आ. 298(अ).—यतः मै. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने केरल राज्य के ग्राम वल्लारपट्टम, मुलावकाडू/फोर्ट कोच्ची, जिला एर्नाकुलम में स्थित पत्तन में विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित किया जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र
1.	का.आ.1897(अ)	02.11.2006	115.25

और यतः, मै. कोचीन पोर्ट ट्रस्ट ने उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 4.8035 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनाधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है और केन्द्र सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार करके उसे अनुमोदित कर दिया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के

अनुसरण में केन्द्र सरकार, एतद्वारा उक्त विशेष आर्थिक जोन में से 4.8035 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनाधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः कुल क्षेत्र 110.4465 हेक्टेयर हो जाएगा, जिसमें निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्याएं और क्षेत्र शामिल हैं, अर्थात् :-

तालिका

ग्राम	पूर्व अधिसूचना संख्या	खाता / सर्वेक्षण संख्या	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनाधिसूचित होने वाला क्षेत्र (हेक्टेयर में)	परिमाणतः क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
मुलावकाडू	का.आ. 1897(अ) 02-11-2006	235/2 (भाग)	115.25	4.8035	110.4465
				उपर्युक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड के शेष क्षेत्रफल	110.4465 (हेक्टेयर)

[फा. सं. एफ. 2(2)/2002-ईपीजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th January, 2013

S.O. 298(E).—Whereas, M/s. Cochin Port Trust had proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone in the port at **Vallarpadom, Mulavukadu/Fort Kochi Village, Ernakulam District**, in the State of **Kerala**;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zone Rules 2006, had notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below:-

S. No.	Notification No.	Dated	Area Notified
1.	S.O. 1897 (E)	02.11.2006	115.25 hectares

AND, WHEREAS, M/s. Cochin Port Trust has now proposed for de-notification of 4.8035 hectares at the above Special Economic Zone and the Central Government after considering the said proposal has approved it;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of

rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 4.8035 hectares, thereby making resultant area as 110.4465 hectares, comprising the survey numbers and the area given below in the table, namely:-

TABLE

Village	Previous Notification Number with date	Khata/ Survey Number	Notified Area (in hectares)	Area being denotified (in hectares)	Resultant Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mulavukad Village	S.O. 1897 (E) 02.11.2006	235/2 (Part)	115.25	4.8035	110.4465
				Net Area of SEZ after above deletion	110.4465 (hectares)

[F. No. F. 2(2)/2/2002-EPZ]

RAJEEV ARORA, Jt. Secy.